"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 508] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2019 — श्रावण 25, शक 1941

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 अगस्त 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-7/2004/XII.— खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्र. 67 सन् 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 कहलायेंगे।

    (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

    (3) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

    (क) **"उच्चतम निर्धारित मूल्य (सीलिंग प्राईस)"** से अभिप्रेत है नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु नियत उच्चतम मूल्य, जिससे कमतर बोली, बोलीदारों द्वारा उद्धृत किया जायेगा;

    (ख) **"जिला-स्तरीय समिति"** से अभिप्रेत है कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर गठित अधिकारियों की समिति, जो वर्णित प्रावधान के अनुसार कार्य करेगी;

    (ग) **"अधिमानी बोलीदार "** से अभिप्रेत है नियम 6 के उप-नियम (4) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट बोलीदार;

    (घ) **"नीलामी (रिवर्स ऑक्शन)"** से अभिप्रेत है साधारण रेत के उत्खनन के लिये पट्टा प्रदाय किये जाने हेतु उच्चतम निर्धारित मूल्य से घटते क्रम में एक चरण में प्रस्तुत बोली, जैसा कि नियम 6 में वर्णित है।

    (2) शब्द और अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे जैसा कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में उनके लिये समनुदेशित है।

3. **साधारण रेत खदानों का चिन्हांकन एवं उच्चतम निर्धारित मूल्य का निर्धारण.**- (1) जिला कलेक्टर, जिला स्तरीय समिति की राय के अनुसार, रेत खनन क्षेत्र का चिन्हांकन, सीमांकन (अक्षांश एवं देशांश सहित) कर, खदान घोषित करेगा तथा उन्हें विशिष्ट नाम दिया जायेगा। इस प्रकार घोषित खदानों की सूची की एक प्रति, कलेक्टर द्वारा संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ शासन को भेजी जायेगी।

(2) जिला स्तरीय समिति, नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु घोषित साधारण रेत खदान क्षेत्रों का समूह बनायेगी।

(3) जिला स्तरीय समिति, जिलेवार साधारण रेत के खनन एवं लदान हेतु प्रति घनमीटर उच्चतम निर्धारित मूल्य सहित लोडिंग दर, रैम्प निर्माण, खदान क्षेत्र पहुंच मार्ग एवं अन्य संबंधित व्यय का निर्धारण करेगी।

(4) निर्धारित उच्चतम मूल्य में स्वामिस्व, जिला खनिज संस्थान न्यास में अंशदान, पर्यावरण उपकर, अधोसंरचना विकास उपकर, स्त्रोत पर आयकर कटौती एवं अन्य कर, जो लागू हो, की राशि सम्मिलित नहीं होगी।

(5) अनुसूचित क्षेत्रो में, साधारण रेत के क्षेत्र घोषित करने के लिये, ग्रामसभा का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4. **उत्खनन पट्टे की कालावधि.**– साधारण रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा दो वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जायेगा, जो कि एक वर्ष की अग्रतर अवधि हेतु विस्तारित किया जा सकेगा। दो वर्ष की अवधि की गणना, उत्खनन पट्टे विलेख के पंजीयन दिनांक से किया जायेगा।

5. **बोली प्रतिभूति एवं कार्यपालन प्रतिभूति.**– (1) सभी बोलीदारों द्वारा, नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) में बोली उद्धृत करने हेतु, कार्यपालन प्रतिभूति की बीस प्रतिशत राशि बोली प्रतिभूति के रूप में जमा करना अनिवार्य होगाः

परन्तु उच्चतम निर्धारित मूल्य के साठ प्रतिशत से कम बोली उद्धृत करने की दशा में, बोली प्रतिभूति की राशि, दोगुनी जमा करनी होगी।

(2) नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के पश्चात्, अधिमानी बोलीदार घोषित किये जाने के पन्द्रह दिवस के भीतर, उसके द्वारा, रूपये एक लाख प्रति हेक्टेयर की दर से या उसके किसी भाग के लिए कार्यपालन प्रतिभूति जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त राशि, दो वर्ष की कालावधि के लिये वैध बैंक गारण्टी/एफडीआर के रूप में जमा की जायेगी।

6. **उत्खनन पट्टा प्रदाय करने के लिये नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) की प्रक्रिया.**– (1) उत्खनन पट्टे प्रदाय करने हेतु पात्रताः–

(क) साधारण रेत का उत्खनन पट्टा तब तक प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी न हो या ऐसा कंपनी न हो जो कंपनी

अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 18) के अधीन सम्यक् रूप से पंजीकृत न हो और वह, इन नियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरी न करता हो:

परन्तु यदि बोलीदार कंपनी है, तो उसके तीन चौथाई अंशधारक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिये।

(ख) साधारण रेत की नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रकिया में भाग लेने हेतु, नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदार द्वारा निलामी हेतु निर्धारित निबंधनों और शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है तथा ऐसे मात्र बोलिदारों को तकनीकी अर्हित बोलीदार कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति या कंपनी, जो तकनीकी रूप से अर्ह न हो, द्वारा प्रस्तुत बोली, स्वमेव निरस्त मानी जाएगी।

(ग) अधिमानी बोलिदार का निर्धारण केवल तकनीकी अर्हित बोलिदारों की वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

(2) नीलामी (रिवर्स ऑक्शन):–

(क) कलेक्टर, संचालक द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए, पारदर्शी रीति में नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) की प्रकिया पूर्ण करेंगे।

(ख) बोली प्रस्तुत करने हेतु अर्हित दस्तावेज एवं उद्धृत बोली, दो बंद लिफाफे में अलग–अलग जमा किया जायेगा। प्रथम लिफाफे में एनआईटी में विनिर्दिष्ट अर्हित दस्तावेज रहेंगे। द्वितीय लिफाफे में वित्तीय बोली रहेगी, जिसे प्रथम लिफाफे के भीतर ही रखा जायेगा।

(3) बोली लगाने के मानक निम्नानुसार होंगे:–

(क) जिला स्तरीय समिति, एक निश्चित राशि निर्धारित करेगी, जिसे उच्चतम निर्धारित मूल्य कहा जाएगा। यह राशि, निकास किये जाने वाले रेत के लिए प्रति घनमीटर मानक इकाई होगी।

(ख) निलामी राशि के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, बोलीदार, पट्टा क्षेत्र से निकास किये जाने वाले खनिज हेतु नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के लिए निर्धारित रूपये प्रति घनमीटर के अनुसार उच्चतम निर्धारित मूल्य से कम राशि उद्धृत की जाएगी।

(ग) नीलामी राशि, प्रेषित किये गये रेत की मात्रा के अनुसार प्रति घनमीटर के आधार पर राज्य शासन को देय होगी।

(4) बोली लगाने की प्रक्रिया:–

(एक) कलेक्टर, नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) की प्रकिया प्रारंभ करने के लिए नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) आमंत्रण की सूचना का, विभागीय वेबसाइट एवं प्रादेशिक समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा कलेक्टर कार्यालय/संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/ जिला पंचायत एवं

स्थानीय नगरीय निकाय के सूचना पटल पर प्रदर्शन करेगा। कलेक्टर द्वारा जारी किये गये नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) दस्तावेजों में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे:–

(क) संबंधित राजस्व अधिकारी से प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र (भौगोलिक समन्वय अर्थात् अक्षांश एवं देशांश सहित) की विशिष्टियां;

(ख) क्षेत्र में उपलब्ध खनिज की जानकारी।

(दो) संभावित बोलीदारों को निविदा आमंत्रण सूचना के जारी होने के पश्चात् इक्कीस दिन की कालावधि प्रदान करते हुए नीलामी दस्तावेजों के अध्ययन हेतु अनुज्ञात किया जायेगा। जिसके पश्चात् बोली लगाने की प्रकिया प्रारंभ होगी। उप–नियम (2) के खण्ड (ख) में विहित रीति में बोली उस अवधि तक स्वीकार की जायेगी जैसा कि एनआईटी में वर्णित है।

(तीन) वह बोलीदार, जो न्यूनतम बोली प्रस्थापना देता है, उसे अधिमानी बोलीदार के रूप में घोषित किया जायेगा।

(चार) दो या अधिक बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत समरूप बोली की दशा में, उनके बीच लॉटरी पद्धति के माध्यम से अधिमानी बोलीदार का चयन किया जायेगा।

(पांच) यदि नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) में एक ही वैध बोली प्राप्त होती है तो बोली के लिए नियत तिथि में अतिरिक्त सात दिवस की वृद्धि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा और यदि तत्पश्चात् भी एक ही बोली प्राप्त होती है तो सक्षम प्राधिकारी को उसे स्वीकार करने या निरस्त करने का अधिकार होगा।

(छः) लिखित में कारण अंकित करते हुए बोली को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।

(सात) उच्चतम निर्धारित मूल्य से साठ प्रतिशत से कम की बोली लगाने की स्थिति में, जमा की जाने वाली बोली प्रतिभूति से दोगुना राशि, बोली प्रतिभूति राशि होगी।

(आठ) खण्ड (सात) के अनुसार बोली प्रतिभूति की राशि दोगुना जमा न कर पाने की स्थिति में, प्रस्तुत बोली, अपूर्ण एवं निरस्त मानी जायेगी।

(नौ) उच्चतम निर्धारित मूल्य से किसी भी स्थिति में पचास प्रतिशत से कम बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।

(दस) उच्चतम निर्धारित मूल्य के पचास प्रतिशत से कम प्रस्तुत बोली, स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

(5) नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के दौरान उद्भूत विवाद की स्थिति में, कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

7. **उत्खनन पट्टा प्रदान करने संबंधी आदेश.–** (1) नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) की प्रक्रिया के पूर्ण होने पर, अधिमानी बोलीदार, नियम 5 के अनुसार कार्यपालन प्रतिभूति राशि जमा करेगा और

ऐसी कार्यपालन **प्रतिभूति** के प्राप्त होने पर मंजूरकर्ता प्राधिकारी **अधिमानी बोलीदार** को आशय पत्र जारी करेगा।

(2) अधिमानी बोलीदार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर सफल बोलीदार समझा जायेगा :—

(क) पात्रता संबंधी शर्तों का पालन;

(ख) सभी सहमतियों, अनुमोदन, अनापत्ति और वैसे ही अन्य दस्तावेज, जो उत्खनन संक्रियाओं को प्रांरभ करने संबंधी सुसंगत विधियों के अधीन अपेक्षित हो, प्रस्तुत करना;

(ग) अनुमोदित उत्खनन योजना प्रस्तुत करना।

(3) उप—नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर मंजूरकर्ता प्राधिकारी, सफल बोलीदार को उत्खनन पट्टा प्रदान करेगा।

(4) आशय पत्र जारी होने की तिथि से छः माह के भीतर, उप—नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर पाने पर, आशय पत्र को स्वमेव निरस्त माना जायेगा और अधिमानी बोलीदार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यपालन प्रतिभूति राजसात की जायेगीः

परन्तु यह कि सफल बोलीदार द्वारा इस आशय का आवेदन प्राप्त होने पर, यह पाया जाता है कि विनिर्दिष्ट समयावधि में, विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफल होने का पर्याप्त कारण विद्यमान है, तो संचालक, छः माह की अतिरिक्त कालावधि बढ़ायी जा सकेगी।

8. **उत्खनन पट्टे विलेख का निष्पादन नब्बे दिवस के भीतर किया जाना.—** (1) जहां कोई उत्खनन पट्टा प्रदान किया गया है, वहां पट्टा स्वीकृत करने के आदेश के नब्बे दिवस के भीतर, **प्ररूप—एक** में उत्खनन पट्टा विलेख निष्पादित करना होगा और उसे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं.16) के अधीन रजिस्टीकृत किया जायेगा और यदि नियत कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है, तो पट्टे की स्वीकृत आदेश, प्रतिसंहृत हो जायेगी।

(2) जहां सफल बोलीदार विनिर्दिष्ट नब्बे दिवस की कालावधि के भीतर, उत्खनन पट्टा विलेख निष्पादित करने में अक्षम है वहां वह कारणों का उल्लेख करते हुए उक्त कालावधि के पूर्व संचालक को पांच सौ रूपये के गैर वापसी शुल्क के साथ समय में वृद्धि करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) संचालक, उप—नियम (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, विलेख निष्पादन में असमर्थता के कारणों की पर्याप्तता और यथार्तता के बारे में स्वयं का समाधान करेगा तथा समाधान हो जाने पर, वह समयावधि में ऐसी अतिरिक्त वृद्धि कर सकेगा, जो कि नब्बे दिवस से अधिक न हो।

9. **गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें.–** प्रत्येक उत्खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात्:–

(क) पट्टाधारी, पांच हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से पूरे वर्ष के लिए अनिवार्य भाटक या स्वामिस्व (रायल्टी) की राशि, जो भी अधिक हो, का, किन्तु दोनों नहीं, अग्रिम भुगतान प्रत्येक वर्ष के प्रथम माह की बीस तारीख तक करेगा।

(ख) पट्टाधारी, खनन संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा दखल में लिए गये या उपयोग में लाये गये भूतल क्षेत्र के लिए पूरे वर्ष के लिये भूतल भाटक का अग्रिम भुगतान प्रत्येक वर्ष के प्रथम माह की बीस तारीख को या उसके पूर्व करेगा।

(ग) पट्टाधारी, निकास किये गये खनिज के लिये प्रति घन मीटर की दर से शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित रायॅल्टी, अभिहित लेखा शीर्ष में जमा करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(घ) उच्चतम निर्धारित मूल्य एवं प्राप्त न्यूनतम बोली के अंतर की राशि अथवा शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत, पट्टाधारी द्वारा नीलामी राशि के रूप में शासन को भुगतान किया जायेगा।

(ङ) कोई अन्य कार्यवाही, जो कि इन नियमों के अधीन अथवा पट्टे के किसी अन्य शर्त के अधीन समय के भीतर (खण्ड क, ख, ग, घ) में यथा विनिर्दिष्ट शोध्यों के भुगतान में चूक के मामले में की जा सकती है, के होते हुए भी, पट्टाधारी, समस्त चूक किये गये भुगतानों के लिए प्रतिवर्ष चौबीस प्रतिशत की दर से ब्याज अथवा खनि रियायत नियम, 2016 के अधीन विहित ब्याज की दर के समतुल्य, जो भी अधिक हो, भुगतान करेगा।

(च) पट्टाधारी, निकास किये गये खनिज के लिये प्रति घनमीटर की दर से शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित डीएमएफ, रॉयल्टी राशि का दस प्रतिशत की दर से तथा अन्य कर अभिहित लेखा शीर्ष में जमा करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(छ) साधारण रेत की उत्खनन संक्रिया अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार की जायेगी। उत्खनन योजना तैयार कराने एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन कराने की जिम्मेदारी अधिमानी बोलिदार की होगी।

(ज) उत्खनन योजना, भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय द्वारा अधिकृत अर्हित व्यक्ति द्वारा ही तैयार करना आवश्यक होगा।

(झ) उत्खनन योजना का अनुमोदन संबंधित जिले में पदस्थ उप–संचालक (खनि प्रशासन) एवं खनि अधिकारी, जो भू–विज्ञान विषय के साथ स्नातकोत्तर हो, द्वारा किया जायेगा।

(ञ) उप–संचालक (खनि प्रशासन) एवं खनि अधिकारी जिले में पदस्थ नहीं होने की स्थिति में, संचालक द्वारा अधिकृत, निकटस्थ जिले में या भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय में,

पदस्थ अर्हित उप–संचालक (खनि प्रशासन) एवं खनि अधिकारी द्वारा उत्खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।

(ट) पट्टाधारी, साधारण रेत के उत्खनन हेतु, स्वीकृत सभी पर्यावरण सम्मति, जिसमें जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6), वायु (प्रदुषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों, यदि लागू हो, के अधीन जल एवं वायु प्रदूषण संबंधी सम्मति भी सम्मिलित है, संबंधित सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करेगा और वह उत्खनन संक्रिया के दौरान, इन सम्मतियों में उल्लिखित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(ठ) पहुंच मार्ग से खदान तक जाने के लिए रैम्प का निर्माण तथा उसका समुचित रख–रखाव एवं मरम्मत करने हेतु पट्टाधारी उत्तरदायी होगा।

(ड) साधारण रेत का परिवहन, अभिवहन पारपत्र प्ररूप–एक के माध्यम से किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु, आवेदन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अधीन प्ररूप–दो में प्रस्तुत की जायेगी।

(ढ) पट्टाधारी, खदान स्थल पर खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पारपत्र जारी करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(ण) किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से दो सौ मीटर के भीतर उत्खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

(त) किसी प्राकृतिक जल स्त्रोत या बांध या जलाशय या अन्य किसी संरचना से सौ मीटर के भीतर उत्खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

(थ) नदी के दोनों तटों से नदी की चौड़ाई का दस प्रतिशत क्षेत्र को छोड़कर उत्खनन कार्य किया जायेगा।

(द) सतह से तीन मीटर की गहराई अथवा नदी में बैड रॉक तक ही साधारण रेत का उत्खनन किया जाएगा।

(ध) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 51 के उप–नियम (20) के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अनुरूप निर्धारित प्ररूपों में उत्खनन की विवरणियां, मासिक/अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक आधार पर आगामी माह के पन्द्रहवें दिवस को या उसके पूर्व पट्टाधारी द्वारा संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार विवरणियां प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 51 के उप–नियम (20) के खण्ड (घ) में विहित अनुसार शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

(न) साधारण रेत के प्रत्येक खदान में, उच्चतम निर्धारित मूल्य (जिस पर रेत का भराव किया जाना है) तथा अन्य करों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(य) साधारण रेत के खदान में कार्य के लिए यथासंभव स्थानीय मजदूरों को लगाया जायेगा।

(र) न्यायालय, केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(ल) इन नियमों के प्रावधानों अथवा अनुबंध की निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन की दशा में, कलेक्टर द्वारा कार्यपालन प्रतिभूति राशि को संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से समपहृत किया जा सकेगा।

10. **सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग.–** राज्य शासन, सुव्यवस्थित तरीके से साधारण रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी तंत्रों का उपयोग कर सकेगा। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करना बंधनकारी होगा।

11. **साधारण रेत के व्यवसाय हेतु व्यापारियों (ट्रेडर) का पंजीयन.–**

(1) जिले में साधारण रेत के व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को **प्ररुप–दो** में पंजीयन कराना होगा।

(2) पंजीयन, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाकर **प्ररुप–तीन** में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(3) पंजीयन, दो वर्ष की की अवधि के लिये की जायेगी।

(4) व्यापारियों के पंजीयन हेतु आवेदन शुल्क दस हजार तथा प्रतिभूति निक्षेप रूपये एक लाख जमा की जायेगी।

(5) यदि व्यापारी पंजीयन की शर्तों का उल्लघंन करता है तो प्रतिभूति निक्षेप, सम्पूर्ण या आशिंक रूप से कलेक्टर द्वारा राजसात किया जा सकेगा।

12. **साधारण रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण.–** (1) साधारण रेत के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों का पंजीयन, राज्य शासन एवं भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय, छत्तीसगढ़ के निर्देशों के अनुसार कराया कराया जायेगा।

(2) जिला एवं संचालनालय स्तर पर साधारण रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष उड़नदस्तों का गठन किया जायेगा।

13. **पंचायतो तथा स्थानीय नगरीय निकायों के बीच राजस्व का आवंटन.–** ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकायो को रेत खदानों से विगत पांच वर्षों में प्राप्त अधिकतम वार्षिक

रायल्टी राशि में पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी तथा इस प्रकार प्राप्त समतुल्य राशि, संबंधित पंचायत/नगरीय निकायों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिये आवंटित की जायेगी।

14. **शास्ति.–** जब कभी कोई व्यक्ति विधिमान्य अधिकार के सिवाय साधारण रेत का उत्खनन/भंडारण/परिवहन करता पाया जाता है तो ऐसा कार्य, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 समय समय पर यथा संशोधित एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अपराध माना जायेगा तथा तद्नुसार ऐसा व्यक्ति शास्ति हेतु उत्तरदायी होगा।

15. **अपील एवं पुनरीक्षण.–** इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश के संबंध में अपील अथवा पुनरीक्षण, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अध्याय चौदह में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होगी।

16. **स्पष्टीकरण.–** इन नियमों के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में किसी अस्पष्टता की दशा में, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में अन्तर्विष्ट प्रावधान लागू होंगे।

17. **निरसन एवं व्यावृत्ति.–** (1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी, साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यापार से संबंधित सभी निर्देश एवं आदेश, इन नियमों के प्रवृत्त होने पर निरसित हो जायेंगे।

(2) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित कोई निर्देश या आदेश के अधीन की गई कोई भी कार्यवाही, विधिमान्य माने जायेंगे, जब तक कि इन नियमों के प्रावधानों से विशिष्ट रूप से असंगत न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., विशेष सचिव.

प्ररुप–एक

साधारण रेत उत्खनन पट्टा विलेख

{(नियम–8 (1) देखिये)}

गौण खनिज रेत के उत्खनन पट्टा अनुबंध विलेख

यह करार एक पक्षकार के रुप में कलेक्टर, ———————— छत्तीसगढ़, के माध्यम से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जो इसमें इसके पश्चात् ''पट्टाकर्ता'' कहा गया है, और इसके अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, वहॉ उनके पदोत्तरवर्ती भी है) और दूसरे पक्षकार ———————————————— (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) जिसे इसमें इसके पश्चात् ''पट्टेदार'' कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, वहॉ उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिति भी सम्मिलित है)

अथवा

....

(सोसायटी या सहयोजन का नाम,पता व्यवसाय सहित) तथा.. ....(व्यक्ति का नाम, पद सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''पट्टेदार'' कहा गया है, और इसके अन्तर्गत जहॉ सन्दर्भ के अनुकूल है, वहॉ उनके क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उसके अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिति भी सम्मिलित है।)

अथवा

....

(भागीदारों के नाम तथा पतें) आत्मज...............................निवासी.. समस्त व्यक्ति, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म के नाम तथा अभिनाम ....(फर्म का नाम) के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिनका रजिस्टर्ड कार्यालय ....में पर है (जिसे इसमे इसके पश्चात अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट है, इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है वहां उक्त फर्म के समस्त भागीदार, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी सम्मिलित है)

अथवा

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी .... (कंपनी का नाम) और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ....(पता) में है (जो इसमें इसके पश्चात अनुज्ञप्तिधरी के रुप में निर्दिष्ट है) जहॉ अभिव्यक्तियॉ संदर्भ के अनुकुल है वहां उसके उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशित भी सम्मिलित है)

यतः पट्टेदार/पट्टेदारों ने, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट है) के अनुसार इसके नीचे लिखी गयी अनुसूची के भाग–एक में वर्णित भूमियों के सम्बंध में खनिज **साधारण रेत** हेतु उत्खनिपट्टा की स्वीकृति पंजीयन दिनांक ....से ....तक दो वर्ष कि लिए दी गयी हैं।

यतः पट्टेदार, नीलामी (रिवर्स आक्शन) की शर्तो के अनुसार नीलामी की राशि रूपय.................प्रति घन मीटर की दर से भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद्पश्चात् नीलामी राशि कहलायेगी। रुपये ....कार्यपालन प्रतिभूति की राशि बैंक गांरटी/राष्ट्रीय बचत पत्र/सावधि जमा के रुप में दिनांक................................ जमा किया है, जो कि नीलामी (रिवर्स आक्शन) के अनुबंध एवं इस नियम के शर्तो के किसी भी प्रकार से भंग किये जाने की स्थिति में संपूर्ण या उसका भाग, समपहृत किये जाने योग्य होगी।

अतः कलेक्टर/अपर कलेक्टर (वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान) जिला .... ने उसे वह उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान का क्षेत्रफल ....हे. है और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची के भाग–एक में वर्णित भूमियों में दिया गया है जो अब आगे "उत्खनन पट्टा" कही जायेगी।

रेत की ऐसी समस्त खदानें (यहां खनिज या खनिजों का विवरण दे) (जिसे इसमें इसके पश्चात और अनुसूची में उक्त खनिजों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) जो उन भूमियों में, जिन्हें उक्त अनुसूची के भाग–एक की में निर्दिष्ट किया गया है, स्थित, अवस्थित है और उनमें तथा उसके नीचे है इसके सम्बंध में प्रयोज्य स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों को सम्मिलित करते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग–दो में वर्णित है, ऐसी स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशषाधिकारों का प्रयोग करने तथा उपभोग करने के सम्बंध में उन निबंधनो तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग–तीन में वर्णित है, इस अपवाद के साथ और इस पट्टे में से, राज्य सरकार के प्रति वे स्वतंत्रतायें, शक्तियां तथा विशेषाधिकार आरक्षित करते हुए जो उक्त अनुसूची के भाग–चार में वर्णित है, परिसर दिनांक .... से .... तक (02 वर्ष तक) की कालावधि के लिए धारण करने हेतु पट्टेदार/पट्टेदारों को एतद्द्वारा प्रदान किये जाते है, पट्टे पर दिये जाते है, अतः उन विभिन्न भाटकों तथा स्वामिस्वों को, जो उक्त अनुसूची के भाग–पांच में वर्णित है, कमशः ऐसी समयों पर जो उसमें विनिर्दिष्ट है, उक्त अनुसूची के

भाग–छः में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार को देगा या उनका भुगतान करेगा और पट्टेदार एतद्द्वारा, राज्य सरकार के साथ ऐसी प्रसंविदा करता है/करते है. जिसे उक्त अनुसूची के भाग–सात में अभिव्यक्त किया गया है, और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ ऐसी प्रसंविदा करती है।

उक्त अनुसूची के भाग–8 में अभिव्यक्त किया गया है, और इसके पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से ऐसी सहमति की जाती है, जो अनुसूची के भाग–9 में अभिव्यक्त की गयी है;

जिसकी साक्ष्य में यह विलेख उस दिनांक और वर्ष को जो कि ऊपर लिखे है, उस रीति में जो इसके अधीन प्रकट होती है, निष्पादित किया जाता हैं

अनुसूची

भाग–एक

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्रः–

ग्राम............................में स्थित भूमियों का वह समस्त भू–भाग (क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) जो , तहसील .... में ग्राम पंचायत .... में है और जो खसरा कमांक .... कुल रकबा .... **हे.** क्षेत्र का ....हें. क्षेत्र है, जो इससे संलग्न नक्शे में प्रत्येक कोने अंकित है तथा जो लाल रंग में दर्शाया गया है, और जिसकी अक्षांश–देशांश की सीमाऍं निम्नानुसार है :–

ए. ....बी.................................सी.............................डी.........

जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त भूमि" के रूप में निर्दिष्ट है;

भाग–दो

उन निबंधनों तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, 'जो भाग–तीन में दिये गए हैं, पट्टेदार द्वारा प्रयोग और उपभोग की जाने वाली स्वतत्रंतायें, शक्तियॉ तथा विशेषाधिकार.

(1) भूमि पर प्रवेश करना तथा खनिज प्राप्त करना, तथा कार्य करना इत्यादि :–

एतद्द्वारा किये गये पट्टा की अवधि के दौरान समस्त समयों पर, उक्त भूमि पर एतद्द्वारा प्रवेश करने और उक्त खनिज को प्राप्त करने के सम्बंध में उपार्जन करने, कार्य करने, ले जाने तथा उनका निपटारा करने के बारे में स्वतंत्रता तथा शक्ति।

(2) रास्तों तथा मार्गो इत्यादि का बनाया जाना और विद्यमान रास्तों तथा मार्गो का उपयोगः–

इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके सम्बंध में उक्त भूमि में या उसके ऊपर कोई रास्ते तथा अन्य मार्गो को बनाने हेतु ऐसी शर्तों पर जैसी कि राज्य सरकार सहमत हों, उनका उपयोग करने की या उनके सम्बंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति।

भाग–तीन

भाग–दो में वर्णित स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के सम्बंध में निबंधन तथा शर्तें

(1) **कतिपय स्थानों पर कोई भवन इत्यादि नही होगाः–** किसी सार्वजनिक बिहार भूमि, शमशान भूमि या कब्रिस्तान भूमि या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने गये किसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान में जिसे राज्य शासन सार्वजनिक स्थान के रुप में अवधारित करें, पर कोई परिवहन मार्ग का निर्माण अथवा कोई भी भू–तल संक्रियायें नही कि जायेगीं।

(2) **प्रतिषिद्धि दूरी के भीतर कोई खनन संक्रियायें नही की जायेगीः–**

पट्टेदार नियम–............ एवं .... में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध दूरियों के भीतर किसी भी स्थल पर कोई कार्य या खनन संक्रियायें नही करेगा/करेगें. या उन्हें करने की अनुज्ञा नही देगा।

(3) **आसन्न शासकीय अनुज्ञप्तियों तथा पट्टे के लिए सुविधायेंः–**

पट्टेदार ऐसी किसी भूमि पर, जो पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा धारित भूमि में समाविष्ट है, या ऐसी भूमि से लगी हुई है, या जिस तक उसके द्वारा धारित भूमि से पहूंचा जाता है, शासकीय अनुज्ञप्तों या पट्टो के विद्यमान तथा भावी धारकों को उस तक पहूँच की युक्तियुक्त सुविधा प्रदान किये जाने बाबत् अनुज्ञा देगा.

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तियों या पट्टों के ऐसे धारकों द्वारा इस विलेख के अधीन पट्टेदार की संक्रियाओं के बारे में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा और इस स्वतंत्रता का उपयोग किये जाने के कारण पट्टेदार को हई हानि या नुकसान के लिए पट्टेदार को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जाएगा, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हों, या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये।

भाग—चार

राज्य सरकार के लिए आरक्षित स्वतंत्रतायें, शक्तियां तथा विशेषाधिकार

(1) रेलपथ, रास्ते, एनीकट, तथा पावर ग्रिड आदि बनानाः—

राज्य शासन या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या किसी पट्टेदार को इस विलेख के भाग—दो मे वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए उक्त भूमियों में तथा उस पर प्रवेश करने और उस पर, उसके ऊपर या उसके आर—पार किन्हीं रेलपथो, सड़क मार्गो, एनीकट तथा पावर ग्रिड बनाने संधारित करने, और उनकी मरम्मत करने या किन्ही विद्यमान रेलपथो, सड़क मार्गो, एनीकट, पावर ग्रिड तथा अन्य मार्गो से या उन पर से या उनके साथ—साथ समस्त प्रयाजनों के लिए और जैसा कि किसी अवसर पर आपेक्षित हो, पार करने की स्वंतत्रता तथा शक्तिः

परन्तु यह कि ऐसे अन्य पट्टेदार या व्यक्ति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्ति का प्रयोग करने में इन विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की स्वतंत्रताओं तथा विशषाधिकारों के प्रति या उनके सम्बंध में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नही किया जायेगा और इस स्वंतत्रता या शक्ति का प्रयोग किए जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार/पट्टेदारों को हानि या नुकसान के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जायेगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हों, या असहमति की दशा में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये।

भाग—पांच

इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक और स्वामिस्व, (रायल्टी)

(1) अनिवार्य भाटक (डेडरेंट) या स्वामिस्व जो भी उच्चतर हो, का भुगतान करना

पट्टेदार पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट अनिवार्य भाटक का भुगतान करेगा।

परन्तु इन नियमों के नियम 9 (1) (क) के अधीन जहॉ ऐसे पट्टे का धारक उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता, प्रबंन्धक, नियोजित व्यक्ति, द्वारा पट्टा—क्षेत्र से हटाये गये या खपाये गये किसी भी खनिज के लिए स्वामित्व (रायल्टी) के भुगतान

करने के लिए दायी हो गया है, वहाँ वह ऐसे क्षेत्र के सम्बंध में ऐसे स्वामित्व या अनिवार्य भाटक, जो भी उच्चतर हो, का भुगतान करने का दायी होगा।

(2) **भाटक और अनिवार्य भाटक के भुगतान की दरें एवं रीति :–**

इस भाग के भाग–एक के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, पट्टे के अस्तित्व के दौरान पट्टेदार और इस अनुसूची के भाग–एक में वर्णित भूमियों के लिए.............................. प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के लिए ऐसी रीति में जैसा कि इस नियम के नियम 9 (1) (क) में विनिर्दिष्ट है वार्षिक अनिवार्य भाटक का राज्य सरकार को भुगतान करेगा।

(3) **स्वामिस्व के भुगतान की दरें तथा रीति :–**

इस भाग के भाग–एक के उपबंध के अध्यधीन रहते हुए पट्टेदार इस पट्टे के अस्तित्व के दौरान उसके या उनके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये खनिज/खनिजों के सम्बंध में नियम 9 (1) (ग) में विनिर्दिष्ट किये गये स्वामित्व का, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अनुसूची–तीन में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से राज्य सरकार को भुगतान करेगा।

(4) **नीलामी राशि का भुगतानः–**

नीलामी के माध्यम से उत्खनन पट्टे से पट्टेधारी द्वारा निकास किये गये खनिज की प्रतिघन मीटर मात्रा पर ....रुपये की दर से नीलामी राशि का भुगतान राज्य शासन को करना होगा।

(5) **सतही भाटक का भुगतानः–**

पट्टेदार, उक्त भूमियों के जो समय–समय पर पट्टेदार द्वारा इस विलेख के प्राधिकार के अधीन दखल की गयी है, या उपयोग की गयी है, समस्त भागों के सतह सम्बंध में, क्रमशः प्रतिवर्ष, प्रति हेक्टर या उसके किसी भाग के लिए रूपये .... की दर से या ऐसे दखल या उपयोग के प्रारंभ होने की कालावधि के दौरान दखल किए गये या उपयोग किये हुए उसके भाग का जब तक कि क्षेत्र का इस प्रकार दखल या उपयोग समाप्ति सब हो जाये, भाटक का राज्य सरकार को समय–समय पर निर्धारित दर पर सतह भाटक का भुगतान नियम 9 (1) (ख) में दिय गये ब्यौरे के अनुसार किया जायेगा.

(6) **खदान क्षेत्र मे शासन द्वारा निर्धारित दरों/मूल्यों को प्रदर्शित करेगा**

पट्टेदार अपने स्वंय के व्यय पर एक सूचना पटल प्रदर्शित करेगा जिसमें शासन द्वारा निर्धारित सिलिंग प्राईस, रॉयल्टी, डी.एम.एफ., समस्त उपकर एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कर दर्शित होंगे।

भाग–छः

भाटक और स्वामिस्व सम्बंधी उपबंध

(1) **स्वामिस्व के संगणना के रीति :–**

उक्त स्वामिस्वों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए पट्टेदार खपत किये गये तथा प्रेषण किये गए खनिज के उत्पादन का एक सही लेखा रखने साथ ही खनिज की मात्रा का, जो की स्टाक में है या निर्यात की प्रक्रिया में इस नियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जॉच प्रड़ताल की जा सकेगी.

(2) **यदि भाटकों और स्वामिस्वों का समय पर भुगतान नही होता है तो कार्यवाही :–**

इस विलेख के निबंधनों तथा शर्तो के अधीन राज्य सरकार को शोध्य कोई भाटक स्वामिस्व या अन्य रकम का पट्टेदार द्वारा विहित समय में भुगतान नही किया जाता है तो, वह रकम उस पर शोध्य ...... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अथवा .... में विनिर्दिष्ट ब्याज की दर, जो भी उच्चतर हो साधारण ब्याज के साथ उप–संचालक (खनि. प्रशा.)/खनिज अधिकारी/सहायक खनिज अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भू–राजस्व की भॉति वसूल की जा सकेगी.।

भाग–सात

पट्टेदार/पट्टेदारों की प्रसंविदायें

(1) **पट्टेदार भाटकों तथा स्वामिस्वों करों इत्यादि का भुगतान करेगाः–**

पट्टेदार, इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक तथा स्वामिस्वों का ऐसे समयों पर तथा ऐसी रीति में जो इस विलेख के भाग 5 तथा 6 में उपबंधित है, राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा समय–समय पर प्रभारित कियें गये अनुसार भुगतान करेगा।

(2) **खदान क्षेत्र को दर्शाने वाला अक्षांश–देशांश एवं लागू दरों की जानकारी प्रदर्शित करनाः–**

पट्टेदार अपने उनके स्वंय के व्यय पर इस पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाये जाने वाले सीमांकन के अनुसार खदान क्षेत्र को दर्शाने वाला अक्षांश–देशांश *की* जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करेगा और उन्हें संधारित तथा मरम्मत में रखेगा। ऐसे झाडियों से तथा अन्य बाधाओं से पर्याप्त स्पष्ट रहेंगे जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें तथा प्रत्येक रेत खदान में रेत का उच्चतम निर्धारित मूल्य, प्रदर्शित किया जायेगा।

(3) संक्रियायें एक माह के भीतर प्रारंभ की जायेगी और कुशलता से कार्य किया जायेगा

पट्टेदार पट्टा पंजीयन किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर संक्रियायें प्रारभं करेगा।

(4) सरकार को समस्त दावों के विरुद्ध क्षतिपूरित रखा जायेगाः–

पट्टेदार ऐसे समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिये जो इस पट्टे द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा किए गये हों, उस विषय पर प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसा युक्तियुक्त हर्जाना तथा प्रतिकर देगा तथा उनका भुगतान करेगा जो कि विधियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये और, और ऐसे समस्त दावों के तथा उसके बारे में समस्त लागत तथा खर्च के विरूद्ध, ऐसे किसी नुकसान, क्षति या विघ्न के सम्बंध में जो कि किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किये जायें राज्य सरकार को क्षतिपूरित करेगा और पूर्ण रुप से तथा संपूर्णतः क्षतिपूरित रखेगा.

(5) खदानो का निरीक्षण अनुज्ञात किया जानाः–

पट्टेदार, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण करने और उसके नक्शे बनाने, नमूने लेने तथा कोई आंकड़े एकत्र करने के प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को उत्खनन क्षेत्र अथवा किसी परिसर में स्थित कार्यालय में प्रवेश करने को अनुज्ञात करेगा, और पट्टेदार उसके द्वारा नियोजित ऐसे योग्य व्यक्ति के साथ, जो खान से तथा कार्यों से परिचित है, ऐसे अधिकारी/अभिकर्ताओं, नौकरों तथा कर्मकारों को ऐसे प्रत्येक निरीक्षण करने में प्रभावी तौर पर सहायता करेगा और खदानों के कार्यकरण के सम्बंध में ऐसी समस्त सुविधायें, जानकारी देगा जो कि वे युक्तियुक्त रुप से अपेक्षित करें और ऐसे समस्त आदेशों तथा विनियमों, जैसे की केन्द्र या राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण के परिणाम स्वरुप या अन्यथा समय–समय पर अधिरोपित करना उचित समझे के अनुरुप अनिवार्य रुप से कार्य करेगा तथा उनका अनुपालन करेगा।

(6) दुर्घटना की रिपोर्ट किया जानाः–

पट्टेदार बिना विलंब के कलेक्टर तथा संबंधित पुलिस थाना को ऐसी दुर्घटना की एक रिर्पोट भेजेगा जो इस पट्टे के अधीन संक्रियाओं के अनुक्रम में हुई हो, जिनके कारण मृत्यु या गंभीर शरीरिक क्षति या संपत्ति में गंभीर क्षति कारित की गयी हो, या जो जीवन या संपत्ति को गंभीर रुप से प्रभावित या संकटापन्न करने वाली हो.

(7) अन्य खनिजों के अन्वेषण की रिपोर्ट किया जानाः–

पट्टेदार पट्टा क्षेत्र में ऐसे किसी खनिज की जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं हे, अन्वेषण की रिर्पोट ऐसे प्रत्येक उपलब्धि के स्वरुप तथा स्थिति के बारे में पूर्ण विवरण के साथ कलेक्टर को अविलंब देगा, यदि ऐसा कोई खनिज जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नही है, पट्टा क्षेत्र में अन्वेषित किया जाता है तो पटटेदार ऐसे खनिज को तब तक प्राप्त नही करेगा, और उसका निपटारा नहीं करेगा जब तक कि ऐसे खनिज को पट्टे में सम्मिलित न कर दिया जाये या उसके लिए एक पृथक पट्टा अभिप्राप्त न कर लिया जाये।

(8) **उत्पादन तथा कर्मचारियों इत्यादि के बारे में अभिलेखों एवं लेखाओं का संधारण किया जानाः—**

पट्टेदार उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर ऐसे कार्यालय में, जों उक्त भूमियों पर या उनके निकट स्थित हों, लेखाओं की सही तथा बोधगम्य ऐसी लेखा पुस्तकें रखेगा या रखवायेगा जिनमें निम्नलिखित के सम्बंध में समय समय पर सही प्रविष्टियॉ अन्तर्विष्ट होगी :—

1. उक्त भूमियों से प्राप्त उक्त खनिज की मात्रा तथा प्रकार;
2. उन खनिज को, जिनका विक्रय किया गया हो, मात्रायें तथा विभिन्न प्रकार पृथक पृथक रूप से;
3. उक्त खनिज के समस्त या विक्रेता की कीमते तथा अन्य समस्त विवरण;
4. उक्त भूमियों पर खानों या कार्यो में विनियोजित व्यक्तियों की संख्या तकनीकी कार्मिकें की राष्ट्रीयता, अर्हतायें तथा वेतन विनिर्दिष्ट करते हुए;
5. ऐसे अन्य तथ्य, विशिष्टियों तथा परिस्थितियों जिनके बारे में राज्य सरकार समय समय पर अपेक्षा करें, और ऐसे अधिकारी को ऐसे समयों पर जैसा कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार नियत करें, ऐसी समस्त किन्ही लेखा पुस्तकों के असली तथा संक्षिप्त सार और पूर्वोवत् समस्त या किसी विषय के बारें में ऐसी जानकारी विवरणिया जैसा कि राज्य सरकार विहित करें निःशुल्क प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे युक्तियुक्त समयों पर ऐसे अधिकारियों को जैसा कि केन्द्र या राज्य सरकार उस निमित्त नियुक्त करें, उक्त लेखा पुस्तकों, रेखांको तथा अभिलेखों का परीक्षण तथा निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपियॉ तथा उनके उद्धरण तैयार करने के प्रयोजनों के लिए उक्त कार्यालयों में प्रवेश करने तथा उन तक अबाध पहूँच रखने के लिए अनुज्ञात करेगा।

(9) **तृतीय पक्षों को हुई क्षति प्रतिकर का भुगतान :–**

पट्टेदार इस विलेख प्रदत्त स्वंतत्रताओं तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति या संपत्ति के किए गए समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिए युक्तियुक्त तथा समाधन कारक प्रतिकर देगा तथा भुगतान करेगा और समस्त समयों पर ऐसे समस्त वादों, दावों तथा मांगों के लिए तथा उनके विरूद्ध जो कि ऐसे जो किसी नुकसान, क्षति या विघ्न के लिए किसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किए जाये राज्य शासन को हानिरहित रूप से बचायेगा और क्षतिपूरित रखेगा शासकीय भूमि की दशा में पट्टेदार राजस्व विभाग द्वारा संबंधित जिले की पड़त भूमि के लिए पत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित की जाने वाली कीमत के ....प्रतिशत समतुल्य राशि के प्रतिकर का भुगतान राज्य शासन को करेगा।

(10) **पट्टेदार आवश्यक अतिरिक्त रकम जमा करेगा:–**

जब कभी रुपये .... का कार्यपालन प्रतिभूति उसके किसी भी भाग की पुनः पूर्ति करने, राज्य सरकार के पास इसमें इसके पश्चात् जमा की गयी और रकम समपहृत की जाय या इसमें इसके पश्चात् घोषित शक्ति के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा उपयोग की जाये तब पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और रकम जमा करेगाा जो कि कार्यपालन प्रतिभूति के अधिनियोजित भाग के साथ मिलकर राज्य सरकार के पास जमा रकम को रुपये .... तक लाने के लिए पर्याप्त हो।

(11) **अग्रक्रय का अधिकार:–**

(क) राज्य शासन को उक्त अवधि के दौरान समय–समय पर समस्त समयों पर एतद्द्वारा अन्तरित उक्त भूमियों में पड़े उक्त खनिजों या पट्टेदार के नियंत्रण में और कहीं पड़े हुए उक्त खनिजों को अग्रक्रय करने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्टेदार को लिखित सूचना देकर किया जायेगा) और पट्टेदार संभव समस्त शीघ्रता से समस्त खनिजों को या इस उपबंध के अधीन राज्य सरकार द्वारा क्रय किये गये उत्पाद या खनिजों को ऐसी मात्रा में ऐसे समयों पर ऐसी रीति में तथा ऐसे स्थान पर जो कि उक्त अधिकारों का प्रयोग करने बाबत् सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये हों, सुपुर्द करेगा

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए अग्रक्रय में लिए गये समस्त खनिजों या खनिजों के उत्पादों की भुगतान की जाने वाली कीमत वह होगी जो कि अग्रक्रय के समय विद्यमान उचित बाजार कीमत हो।

(12) **राज्य शासन द्वारा किये गए व्ययों की वसूली:–**

यदि कोई ऐसे कार्य या विषय जो इस निमित्त इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं के अनुसार पट्टेदार द्वारा किए जाने हैं, या उनका पालन किया जाना है उस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर नहीं किये जाते हैं या उनका पालन नही किया जाता है तो राज्य सरकार उन्हें करवा सकेगी या उनका पालन करवा सकेगी और पट्टेदार मांग की जाने पर राज्य सरकार को ऐसे समस्त व्ययों का भुगतान करेगा जो कि इस प्रकार कार्य किए जाने या उनका अनुपालन किये जाने में किए गए हों तथा ऐसे व्ययों के सम्बंध में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(13) **अन्य बाध्यतायें:–**

(क) पट्टेदार, इस नियम के अर्न्तगत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करेगा

(ख) पट्टेदार, न्यूतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से अन्यून मजदूरी का भुगतान नही करेगा।

(ग) पट्टेदार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो का पालन करेगा।

(घ) पट्टेदार, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा।

(ङ) पट्टेदार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेंगे।

(च) पट्टेदार, स्वयं के व्यय पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण, भूमि का पुनरूद्धार, प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों का उपयोग जैसे उपाय ओर ऐसे अन्य उपाय करेगा जैसे कि कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किये जाये;

(छः) पट्टेदार, नियमों में निर्धारित तारीख पर तथा रीति में भूमि के अधिभोगी का प्रतिकर का भुगतान करेगा।

(ज) पट्टेदार, नियोजन के विषय में, स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा;

(झ) पट्टेदार नियमों में यथा उपबंधित विधिमान्य अभिवहन पास के बिना पट्टा क्षेत्र से कोई खनिज या उसके उत्पाद का परिवहन नहीं करेगा।

भाग—आठ

राज्य सरकार की प्रसंविदाएं

(1) **अवधि विस्तार किया जाना:—**

नियमों के उपबंधों की शर्तों के अनुसार उत्खनन पट्टा एक वर्ष हेतु अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

(2) **पट्टा पर्यवसित करने की स्वतंत्रता :—**

पट्टेदार मंजूरी प्राधिकारी को कम से कम छः कलेण्डर मास कि एक लिखित सूचना देकर इस पट्टे को किसी भी समय पर्यवसित कर सकेगा, किन्तु पर्यवर्सन के पुर्व ऐसे समस्त भाटकों, स्वामिस्यों नुकसानों के लिए प्रतिकर और ऐसा धन देगा और उसका भुगतान करेगा जो कि उस समय शोध्य हो।

ऐसे खनिज के अभ्यर्पण के लिए आवेदन ऐसी अप्रत्याशित तारीख के कम से कम छः माह पूर्व करेगा, और यह वचन देता है कि वह इस प्रकार अभ्यर्पित खनिज के बारे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे उस खनिज के लिए बाद में उत्खनन् पट्टा प्रदान किया गया है, की जाने वाली खुदाई में कोई रुकावट कारित नही करेगा.

(3) **कार्यपालन प्रतिभूति की प्रतिदाय:—**

इस पट्टे या किसी नवीकरण का पर्यावसन होने के पश्चात् ऐसी तारीख को जिसे कलेक्टर चयन करे, इस पट्टे के सम्बंध में भुगतान की गई प्रतिभूति की रकम का जो राज्य सरकार के पास जमा है और जिसका उपयोजन इस पट्टे में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित नही है, पट्टेदार को प्रतिदाय कर दी जावेगी प्रतिभूति निक्षेप पर कोइ ब्याज देय नही होगा।

भाग—नौ

सामान्य उपबंध

(1) निरीक्षण में बाधायें:–

इस मामले में जहॉ पट्टेदार उन अधिकारियों द्वारा जो उक्त नियमों के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं, प्रवेश किए जाने या निरीक्षण किए जाने को अनुज्ञात नही करता है तो कलेक्टर पट्टेदार को लिखित सूचना देगा तथा उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह वे/ऐसे समय के भीतर जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय यह कारण बतालावें कि पट्टा क्यों न पर्यवसित कर दिया जाय तथा उसका कार्यपालन प्रतिभूति क्यों न समपहृत कर लिये जाये और यदि पट्टेदार उपरोक्त समय में मंजुरी प्राधिकारी को समाधान पर्यन्तकारण बतलाने में असफल रहता हैं तो वह पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा कार्यपालन प्रतिभूति की संपूर्ण राशि या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगा.

2. स्वामिस्व का भुगतान करने में व्यतिकम करने तथा प्रसंविदाओं का भंग करने के मामले में शास्तिः–

यदि पट्टेदार नियमों, अधिनियम द्वारा यथा आपेक्षित भाटक या स्वामिस्व का भुगतान करने में व्यतिक्रम करता है या शर्तों को भंग करता है तो कलेक्टर पट्टेदार से यह अपेक्षा करते हुए इस नियम के अनुसार कारण बताओ नोटिस देगा कि वह यथा स्थिति भाटक या स्वामिस्व का भुगतान या भंग का उपचार सूचना की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर करे। ऐसे समय के भीतर भाटक तथा स्वामिस्व का भुगतान या भंग का उपचार नही किया जाता है तो मंजूरी प्राधिकारी ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो किसी उसके/उनके विरुद्ध की जा सकती है, पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा कार्यपालन प्रतिभूति निक्षेप की संपूर्ण राशि या उसका कोई भाग समाप्त कर सकेगा या नियमों में यथा उपबंधित शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(3) पट्टे का अवसान होने पर उसकी/उनकी संपत्ति हटा लेगें:–

पट्टेदार इस विलेख के कारण देय भाटकों तथा स्वामिस्वों का प्रथमतः भुगतान करनें पर तथा इन्हें उन्मोदित करने पर उक्त अवधि का अवसान होने के पश्चात् या उसका पूर्वोत्तर पर्यवसान किए जाने के पश्चात् या उसके पश्चात् तीन केलेण्डर माह के भीतर जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड 1 तथा 2 के अधीन पर्यवसित न कर दिया जाये और उस मामले में, पन्द्रह दिन से कम न होने वाले समय में किसी भी समय, ना कि ऐसे पर्यवसान से तीन कलेण्डर माह के भीतर, उसके द्वारा स्थापित उत्खनन सामाग्री जो

कि पट्टेदार द्वारा उक्त भूमियों में या उन पर खड़े किये गये हों, स्थापित किए गए हों, या रखे गये हों, और जिन्हें पट्टेदार इन नियमों के अधीन राज्य सरकार को परिदत्त करने के लिए बाध्य नहीं है, हटाना होगा।

(4) **पट्टा पर्यवसित किये जाने से तीन माह से अधिक समय के पश्चात् रहने दी गयी संपत्ति का समपहरण:–**

यदि उक्त अवधि के अवसान या इस अनुसूची के **भाग–नौ** के खण्ड तीन में अन्तर्विष्ट उपबंध के अधीन उस अवधि के पूर्वत्तर पर्यावसान के प्रभावी होने से तीन कलेण्डर मास के अन्त में उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजिन, मशीनरी, संयंत्र, भवन, संरचनायें, तथा अन्य कार्य परिनिर्माण तथा अन्य सुविधायें, अन्य संपत्ति, जो कि पट्टेदार द्वारा उत्खनन पट्टे के अधीन उसके द्वारा धारित किन्हीं अन्य भूमियों में किए जाने वाले संकायों के सम्बंध में अपेक्षित नहीं है तो वे उन्हें हटाया जाने की अपेक्षा करते हुए कलेक्टर द्वारा पट्टेदार को दी गयी लिखित सूचना के पश्चात् यदि एक कैलेण्डर माह के भीतर न हटाये जायें तो उनके सम्बंध में पट्टेदार को कोई प्रतिकर देने या उस बाबत् उन्हें के प्रतिकर देने के दायित्व के बिना राज्य सरकार की संपत्ति समझी जायेगी तथा वे ऐसी जैसे कि राज्य सरकार उचित समझे, विक्रय किए जा सकेंगे या उसका निपटारा किया जा सकेगा।

(5) यह पट्टा जिला .... में निष्पादित किया गया है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 220 के अध्यधीन पट्टेदार और पट्टाकर्ता के बीच एतद्द्वारा यह करार किया जाता है कि पट्टे के अधीन वसूली शोध्य के सम्बंध में तथा पट्टेदार और पट्टाकर्ता के सम्बंध के बारे में कोई विवाद होने की दशा में, वाद (या अपील) जिला .... स्थित (नगर का नाम के सिविल न्यायालयों में फाईल किये जायेंगे तथा स्पष्ट करार किया जाता है कि ऊपर लिखित न्यायालयों में भिन्न किसी न्यायालय में कोई वाद फाईल करने या कोई कार्यवाही करने के लिये या कोई याचिका फाईल करने के लिये पक्षकारों में से कोई पक्षकार सक्षम नहीं होगा.।

(6) स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित क्षेत्र से प्रत्याशित स्वामिस्व **रुपये**......... ...../– प्रतिवर्ष है।

(7) **अन्य शर्तें:–**

जिसके साक्ष्य में यह विलेख प्रथमतः ऊपर लिखित तारीख को इसके अधीन वर्णित रीति में निष्पादित किया गया है.

साक्षी

(1) हस्ताक्षर ....
तथा नाम ....
पिता या पति का नाम ....

राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिए
उनकी ओर से कलेक्टर
द्वारा हस्ताक्षरित

(2) हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता या पति का नाम ....
तारीख ....

पट्टेदार
(द्वारा हस्ताक्षरित)
तारीख ....

प्ररूप–दो

[देखिए नियम 11(1)]

ट्रेडिंग अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

तारीख..........................माह......................वर्ष.................को ....स्थान में प्राप्त किया।

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–..
छत्तीसगढ़।

विषय :– गौण खनिज साधारण रेत की ट्रेडिंग अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन।

1. **आवेदक का विवरण :–**

आवेदक का नाम –..
आवेदक का पता –..
आधार नम्बर –..
पैन नम्बर –..
जीएसटी नम्बर –..
गोमस्ता लायसेंस नम्बर(यदि लागू हो)–..
मोबाईल नम्बर –..
ईमेल आईडी –..

2. **व्यापार का कार्यालयीन पता :–**

स.क्र.	जिला	तहसील / शहर	ग्राम / वार्ड

3. **आवेदन शुल्क की जानकारी :–**

चालान क्रमांक.................................., दिनांक...............................जमा राशि.................

4. **पत्र व्यवहार का पता :–**

स्थान / ग्राम / वार्ड...
तहसील / शहर...
जिला...
पोस्ट ऑफिस..पिन कोड..

5. **संलग्न दस्तावेजों की सूची :–**

चालान
शपथ पत्र (राजस्व बकाया नहीं एवं ट्रेडिंग हेतु भू–स्वामी की सहमति से संबंधित)
फोटो (स्वप्रमाणित)
पता संबंधी प्रमाण
जीएसटी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र
गुमस्ता लायसेंस प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

दिनांक :–
स्थान :–

आवेदक का हस्ताक्षर

प्ररूप–तीन

[देखिए नियम 11(2)]

साधारण रेत की ट्रेडिंग की अनुज्ञप्ति

कार्यालय कलेक्टर, जिला..छत्तीसगढ़

क्रमांक.. **दिनांक ....**

छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय), नियम 2019 के अन्तर्गत श्री व्यक्ति का नाम/फर्म/कंपनी.. निवासी/कार्यालयीन पता..को साधारण रेत ट्रेडिंग हेतु निम्नानुसार उल्लिखित शर्तों के अधीन साधारण रेत के लिये ट्रेडिंग अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। शर्तें निम्नानुसार उपदर्शित है :–

1. अनुज्ञप्ति की शर्तें – राज्य शासन/संचालक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट अनुसार।

कलेक्टर
जिला................................
छत्तीसगढ़

Atal Nagar, the 16th August 2019

NOTIFICATION

No. F 7-7/2004/XII.— In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following rules for regulating the Quarry and Trade of minor mineral ordinary sand, namely :-

RULES

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These rules shall be called the Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2019.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) **"Ceiling Price"** means the highest price fixed for auction (reverse auction), below which the bidders will bid;

(b) **"District-level Committee"** means the committee of officials constituted at the district level by the Collector, which shall function according to the provisions laid down;

(c) **"Preferred bidder"** means the bidder specified in clause (c) of sub-rule (4) of rule 6;

(d) **"Auction (Reverse Auction)"** means the bid submitted descending order below the ceiling price in a phase of bidding for grant of lease to quarry ordinary sand as described in rule 6.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules shall have the same meanings as assigned to them in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015.

3. **Identification of Ordinary Sand Quarries and fixation of Ceiling Price.**—(1) The district Collector shall, in accordance with the opinion of the District-level Committee, identify sand mining areas by demarcating boundary (with latitude and longitude), declare the same as quarries and

assigning to them specific names. A copy of the list of quarries so declared shall be sent by the Collector to the Director, Geology and Mining, Government of Chhattisgarh.

(2) The District-level Committee shall, prepare groups of quarries of ordinary sand declared for auction (reverse auction).

(3) The District-level Committee shall determine the ceiling price per cubic meter, for quarrying and loading of ordinary sand in district-wise, including the rate of loading, construction of ramp, route of quarries, and other related expenses.

(4) The ceiling price shall not include the amount of the royalty, contribution to the District Mineral Foundation Trust, Environmental Cess, Infrastructure Development Cess, Tax Deduction at Source, and other taxes as applicable.

(5) In Scheduled Areas, prior approval of the Gram Sabha shall be mandatory for declaration of ordinary sand mining area.

4. **Duration of Quarry Lease.–** The quarry lease for quarrying of ordinary sand shall be granted for a period of two years, which may be extended for a further period of one year. The period of two years shall be reckoned from the date of registration of the Quarry Lease Deed.

5. **Bid Security and Performance Security** –(1) To bid in auction (reverse auction), every bidder shall be required to provide twenty percent amount of Performance Security as Bid Security:

Provided that in case the bid is for less than sixty percent of the ceiling price fixed, the Bid Security amount shall be deposited twice the amount of Bid Security.

(2) After the auction (reverse auction), within fifteen days of the declaration of the preferred bidder, he shall be required to deposit Performance Security at the rate of rupees one lakh per hectare or part thereof. Said amount shall be deposited by way of Bank Guarantee/FDR valid for a period of two years.

6. **The Process of Auction (Reverse Auction) for Grant of Quarry Lease.**–(1) Eligibility for grant of quarry lease :-

(a) No quarry lease for ordinary sand shall be granted unless a person is domicile of Chhattisgarh, or a company duly registered under the Companies Act, 2013 (No.18 of 2013) and he should satisfy all conditions specified in these rules:

Provided that if the bidder is a company, minimum three-fourth of its shareholders should be domicile of Chhattisgarh.

(b) To participate in the auction (reverse auction) for ordinary sand, the bidder must satisfy the terms and conditions prescribed for bidding and such bidders shall be called technically eligible bidders. The bid submitted by the person or company, which is technically not eligible, shall be deemed to cancel automatically.

(c) The preferred bidder shall be determined on the basis of the financial bids of only the technically eligible bidders.

(2) The auction (reverse auction):-

(a) Collector shall complete the procedure of auction (reverse auction) in a transparent manner, complying with the guidelines issued from time to time by the Director.

(b) Documents relating to eligibility for bidding and submission of bid shall be submitted separately in two sealed envelopes. The First Envelope shall contain documents suitable in accordance with the requirements specified in the NIT. The second envelope shall contain the financial bid, which shall be kept within the first envelope only.

(3) The standard unit for bidding shall be as follows:-

(a) The District-level Committee shall fix a specific amount to be called the ceiling price. This amount will be the standard unit per cubic meter of sand to be extracted.

(b) For the purpose of the payment as auction amount to the State Government, the bidder shall quote the amount lower than the standard ceiling price as per rupees per cubic meter specified for auction (reverse auction of the minerals to extract from lease area.

(c) The auction amount shall be payable on per cubic meter to the State Government according to the quantity of sand despatched.

(4) The process of bidding:-

(i) The Collector shall publish the notice in departmental website and regional newspaper and display on notice board office of the Collector / Gram Panchayat/ Janpad Panchayat/ Zila Panchayat and Local Urban Bodies concerned for inviting the auction (reverse auction) to initiate procedure of auction (reverse auction). Auction (reverse

auction) documents issued by the collector shall contained as follows:-

(a) The particulars of the area (including the geographical coordinates i.e. latitude and longitude) emphasized and demarcated as per report of delimitation received from the respective Revenue Officer;

(b) Information regarding the mineral availability in the area.

(ii) Prospective bidders shall be allowed to study the bid documents after release of the notice inviting tenders by providing period of 21 days. After which auction process shall commence. The bids in the manner prescribed in the clause (b) of sub rule (2) shall be accepted till the time as may be described in the NIT.

(iii) The bidder who submits the lowest bid shall be declared as the preferred bidder.

(iv) If two or more bidders submit the same bid quote, then the preferred bidder shall be selected through lottery process amongst them.

(v) If a single bid is received in auction (reverse auction) process, the competent authority shall have the power to extend more seven days at the date appointed for submission of bids. If a single bid remains even thereafter, the competent authority shall have the power to accept or reject it.

(vi) The competent authority shall have the power to annul the bid at any stage for reasons to be recorded in writing.

(vii) In case the bid is less than sixty percent of the ceiling price fixed, the Bid Security amount to be deposited shall be twice the amount of Bid Security.

(viii) If twice the amount of Bid Security is not deposited according to clause (vii), the submitted bid will be deemed to be defective and rejected.

(ix) No bid below fifty percent of the ceiling price shall be acceptable.

(x) Bids submitted below fifty percent of the ceiling price shall be deemed to rejected automatically.

(5) In case of any dispute arising in the course of the auction (reverse auction) process, the decision of the Collector shall be final and binding.

7. **Order regarding grant of Quarry Lease.**—(1) On completion of the process of auction (reverse auction), the preferred bidder shall deposit the

Performance Security amount according to rule 5, and on receipt of the Performance Security, the sanctioning authority shall issue a letter of intent to the preferred bidder.

(2) The preferred bidder shall be considered as successful bidder on fulfilment of the following conditions:-

(a) Compliance of the conditions relating to eligibility;

(b) Submission of all consents, approvals, no-objection and such documents as may be required under relevant laws relating to commencement of quarrying operations;

(c) Submission of approved mining plan;

(3) On compliance of the conditions specified in sub-rule (2), the sanctioning authority shall grant quarry lease to the successful bidder.

(4) If within six months of the date of issue of the letter of intent, the conditions specified in sub-rule (2) remain unfulfilled, the letter of intent will be deemed to cancelled automatically, and the Performance Security deposited by the preferred bidder shall be confiscated:

Provided, that if on an application to this effect by the successful bidder, it is found that adequate reasons exist for failure of the preferred bidder to comply with the conditions specified, within the time specified, the Director may extend the time limit by a further period of six months.

8. **Quarry Lease Deed to be executed within ninety days.**–(1) Where a quarry lease has been granted, within ninety days of approval order of the lease, the quarry lease deed must be executed in the **Form-I** and the same must be registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908), and if the deed has not been executed, within the stipulated time the approval order of the lease shall be liable to be revoked.

(2) In case the successful bidder is unable to execute the quarry lease deed within the specified period of ninety days, he may apply for extension of time by depositing a non-refundable amount of rupees five hundred with the Director before the said period by reason to be recorded.

(3) On receipt of an application under sub-rule (2), the Director shall satisfy himself regarding the adequacy and genuineness of the reasons for inability to execute the lease deed, and, on being satisfied, he may grant a further period of time not exceeding ninety days.

9. **General Terms and Conditions for quarry and trade of minor mineral ordinary sand.**— (1) Every quarry lease shall be subject to the following conditions, namely :-

(a) The lease holder shall deposit by the twentieth day of the first month, every year, in advance, dead rent at the rate of rupees five thousands per hectare for the whole year, or the amount of royalty, whichever is higher, not both.

(b) The lease holder shall also pay, for the surface area occupied or used by him for the purpose of mining operation, surface rent in advance for the whole year on or before the 20th day of the first month every year;

(c) The lease holder shall be responsible to deposit in the designated head of account, the royalty on per cubic meter basis as may be prescribed by the Government from time to time, for minerals to be extracted.

(d) The difference between the Ceiling Price and the lowest bid received, or a percentage as may be fixed by the Government, shall be paid by the lease holder to the Government as auction amount.

(e) Notwithstanding any other action that may be taken in case of default in payment of dues as specified in [clauses (a), (b), (c), (d)] within time under these rules or under any other condition of the lease, the lease holder shall pay interest at the rate of 24% per annum or equivalent to the rate of interest prescribed under rule Mineral Concession Rules, 2016 whichever is higher for all the default payment.

(f) The lease holder shall be responsible to deposit in the designated head of account, the DMF as 10 percent of royalty and other taxes, on per cubic meter basis as may be prescribed by the Government from time to time, for minerals to be extracted.

(g) The quarrying operations of ordinary sand shall be done in accordance with the approved mining plan. The responsibility for preparing the mining plan and getting the same approved by the competent authority shall be the responsibility of the preferred bidder.

(h) The mining plan must be prepared only by a qualified person authorized by the Director, Geology and Mining.

(i) Approval of the mining plan shall be done by the Deputy Director (Mineral Administration) and Mining Officer posted in respective district who must be a post graduate with Geology as a subject.

(j) In case, Deputy Director (Mineral Administration) and Mining Officer are not posted in the district, the mining plan shall be approved by the qualified Deputy Director (Mineral Administration) and Mining Officer in the neighbouring district or in the Directorate of Geology and Mining, as authorized by the Director.

(k) For quarrying of ordinary sand, the lease holder shall obtain from the competent authority, all environmental approvals including water and air pollution consents as applicable under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986) and the rules framed thereunder, and during quarrying operations he shall be responsible for compliance with the terms of these consents.

(l) The lease holder shall be responsible for construction of a ramp to lead from the approach road to the quarry and for the due repair and maintenance of the same.

(m) The transportation of ordinary sand shall be done with the Transit Pass on Form-I. For this purpose, application shall be made on Form-II under the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015.

(n) The lease holder shall make necessary arrangements at the quarry-site for issue of Transit Pass for transportation of the mineral.

(o) No quarrying activity shall be done within a distance of two hundred meters from any bridge or National / State Highway.

(p) No quarrying activity shall be done within a distance of hundred meters from any natural source of water or dam or reservoir or other structure.

(q) Quarrying shall be done excluding space on both banks of a river up to a distance equal to ten percent of the width of the river.

(r) Quarrying shall be done only up to a depth of three meters from the surface or up to the bed rock of the river.

(s) Particulars of quarrying shall be furnished on monthly/half-yearly and annual basis, by the lease holder to the Collector concerned, on or before the fifth day of the following month on the prescribed forms

in terms of clauses (a), (b) and (c) of sub-rule (20) of rule 51 of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015.

Failure to submit the particulars as above shall be imposed a penalty as prescribed in clause (d) of sub-rule (20) of rule 51 of Chhattisgarh Minor Mineral Rule, 2015.

(t) In every quarry of ordinary sand, the ceiling price fixed (on which the sand must be loaded) and other taxes shall be prominently displayed.

(u) To the extent feasible, only local manpower shall be deployed to work in the quarry of ordinary sand.

(v) The orders of the Court, Central and State Governments, issued from time to time, shall have to be necessarily complied with.

(w) In the event of violation of the terms and conditions of the lease deed or the provisions contained in these rules the Performance Security whole or part thereof may be confiscated by the Collector.

10. Use of Information Technology. — The State Government may use information technology systems to ensure the availability of ordinary sand in an organized manner. The directions issued by the State Government from time to time in this regard will have to be complied with.

11. Registration of Traders to deal in Ordinary Sand. —

(1) All traders dealing in ordinary sand in the district shall register them self in **Form-II**.

(2) The registration shall be done by concerned Collector of the district and issue registration certificate in **Form-III**.

(3) The registration shall be for a period of two years.

(4) For registration of trader, the application fee shall be rupees ten thousands and the security deposit shall be rupees one lakh.

(5) If a trader violates the terms of registration, the security deposit may be confiscated in part or in full, by the Collector.

12. Effective Control on illegal quarrying and transportation of ordinary sand.— (1) The vehicles deployed for transport of ordinary sand will have to be registered according to the directions of the State Government and the Director, Geology and Mining, Chhattisgarh.

(2) Special flying squads shall be formed at the district and Directorate levels for effective control of illegal quarrying / transportation / storage of ordinary sand and other minerals.

13. **Allocation of Revenue among the Panchayats and Urban Local Bodies.** – The optimum royalty received by the sand quarries by Gram Panchayats / Janpad Panchayats and urban local bodies in the past five years shall be increased by twenty-five percent and the equivalent amount so received shall be allocated to the respective Panchayats /Urban Local Bodies in the following financial year.

14. **Penalty.**– When any person is found to be quarrying / storing / transporting ordinary sand in a manner other than through legal right, then such action shall be deemed to be an offence under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, and the rules framed thereunder, as amended from time to time, and such a person shall be liable for penalty accordingly.

15. **Appeal and Revision.**– Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, in respect of any order passed under these rules, an appeal or revision shall be made according to the provisions contained in Chapter XIV of the Chhattisgarh Minor Mineral Rule, 2015.

16. **Clarification.**– In case of any ambiguity relating to interpretation of any provision in these rules, the provisions contained in Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, shall apply.

17. **Repeal and Savings.**–(1) All directions and orders concerning the quarrying and trade of ordinary sand, issued prior to these rules coming into force, shall stand repealed once these rules come into force.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), any action taken in the past under any direction or order so repealed shall be deemed to be valid unless specifically not inconsistent with provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANBALAGAN P., Special Secretary.

Form-I

Quarry Lease Deed for Ordinary Sand

{(See rule-8 (1))}

Agreement deed for Quarry Lease of Minor Mineral Sand

This agreement, through the Collector......................... Chhattisgarh as a party, the Governor of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the "lessor"), and wherein it is relevant to the context, there is also his successor) and the other party ---------------------- (including the name, address and occupation of the person), (hereinafter referred to as the "lessee"), and wherein it is relevant to the context, there is also includes his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assignees)

Or

....

....

(including name, address, business of society or association) and .... (Including the person's name, designation) (hereinafter referred to as the "lessee"), and wherein it is relevant to the context, there is also includes his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assignees respectively)

Or

....

.... (Names and addresses of the participants) S/o .... Resident ....

All persons is doing business in partnership under names and

designations of firm..(name of firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and its registered office at................. (hereinafter referred to as the "lessee"), and wherein it is relevant to the context, there is also includes all partner, heirs, executors, administrators, legal representatives and permitted assignees of said firms)

Or

A company registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) .... (company of the name) and its registered office at .... (address) (hereinafter referred to as the licensee) and wherein it is relevant to the context, there is also includes his successor and permitted assignees)

his and permitted assign shall be deemed to be included)

Accordingly, the lessee / lessee has, according to the Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Business) Rules, 2019 (which is hereinafter referred to as the said rule) quarry lease's Acceptance have been given till Two years from registration dated............. to .... for ordinary sand in respect of lands mentioned in Part-A of the schedule written hereunder.

Thus the lessor has agreed to pay the auction amount at the rate of Rs .... per cubic meter as per the terms of the auction (reverse auction), which the amount shall hereafter be called the auction amount. Rs .... Amount of Executive Security have been deposited as Bank Guarantee / National Savings Letter / Fixed Deposit on the dated......................., which can be able to forfeited whole or

part thereof as result of breach of terms of the contract of the auction (reverse auction) and this rule in any way.

So Collector / Additional Collector (Senior Indian Administrative Service Pay Scale) District ………………… has approved the quarry lease of which the map is attached and the area of mine is............... hectare and whose details are given in the lands mentioned in Part-I of the attached schedule, which will now be called "Quarry Lease".

All mines of sand (herein mentioned in minerals or minerals) (specified herein and in the schedule as the above minerals) in those lands, which are specified in the Part-1 of said schedule, is located in and under, and including the freedoms, powers and privileges applicable in relation to it, which are mentioned in part-I of the said schedule, subject to the terms and conditions relating to the exercise and enjoyment of such freedoms, powers and privileges as described in Part-III of the said Schedule, with the exception of and in this lease, premises hereby provide and on lease to lessee for holding for period from the date ………… till ………………… (till 02 years) by Reserving the freedoms, powers and privileges for the State Government as described in Part-IV of the said schedule, so the various rent and royalty as described in Part-V of the said schedule, respectively, shall provide to the State Government at the times which are specified therein, subject to the provisions contained in Part-VI of the said schedule or pay them and the lessee, hereby, makes such contract with the State Government Which is expressed in Part-VII of the said schedule, and

the State Government hereby undertakes such contract with the lessee which is expressed in Part-VIII of the said Schedule, and mutually agreed between its parties, which is expressed in Part-IX of the Schedule;

In whose evidence this deed is executed on the date and year written above, in the manner which appears under it.

SCHEDULE
Part-I
Area of this lease

Location and area of lease: -

All such region (discription of the area or areas) of lands situated at gram .... which is in Gram Panchayat .... in Tehsil .... and which is Khasra number ... ……………. Total rakba …………….hectear. which has each corner marked in the map attached to it and which is shown in red color, and whose boundaries of latitude-longitude are as follows: -

A. ………… B …...................C........................ ...... D ....

Which is hereinafter referred to as "the said land";

Part-II

Subject to the such terms and conditions, which are given in Part-III, the freedom, powers and privileges exercised and consumed by the lessee

(1) Entering the land and obtaining minerals and working etc. :-

Hereby during the period of the lease, Freedom and power to hereby enter the said land and to acquire, work, carry and disposal regarding procuring of the said minaral.

(2) Construction of roads and paths etc. and use of existing roads and paths: -

Freedom and power to use or in relation to such conditions as may be agreed upon by the State Government, to the construction of any roads and paths on or above the said land for any purpose or in relation to the purposes described in this Part.

Part-III

Terms and conditions regarding the exercise of the freedoms, powers and privileges described in Part-II: -

(1) There will be no buildings etc. at certain places: -

Construction of any transport route or any ground floor works also in any public Bihar land, cremation ground or cemetery land or any place considered sacred by any class of persons or in such other place, which the State Government may determine as a public place, will not be done.

(2) No mining works shall be conducted within the prohibition distance: -

The lessee shall not undertake any work or mining works at any site within the prohibited distances specified in the rules .... and .... or will not allow them to do.

(3) Facilities for adjacent government licenses and leases: -

The lessee shall give permission in respect of providing reasonable facilities for accessing to the existing and prospective holders of government licenses or leases on any such land which is comprised in the land held by the lessee / lessees, or is adjacent to such land, or to which the land is held by him:

Provided that no substantial impedance or interference shall be made by such holders of the licensees or leases regarding the lessee's works under this deed and such reasonable compensation shall be given to the lessee for any loss or damage caused to the lessee due to the exercise of this freedom, as mutually agreed upon, or in case of disagreement, as decided by the State Government.

Part-IV

Reserve freedom, powers and privileges of the State Government

(1) Construction of tracks, pathways, anicuts, and power grids, etc.

The State Government or any person authorized by him in this behalf or a lessee shall have power to enter and occupy the said lands for any purpose other than the purposes described in Part-II of this Deed and on, above or beyond to maintain the construction of tracks, roads, anicuts and power grids and to repair to it or to cross through or over them or along with them from any existing tracks, roads, anicuts, power grids and other routes for all purposes as require by any occasion:

Provided that there shall not be substantial impedance or interference with or in relation to the freedoms and privileges of the lessee / lessees under these deeds, by such other lessee or person in exercising such freedom and power and for the loss or damage to the lessee / lessee due to or resulting the exercise of this freedom, the lessee / lessees shall be given a reasonable compensation as mutually agree, or as in the case of disagreement as may be determined by the State Government.

Part-V

Rent and royalty reserved by this lease

(1) To pay the dead rent or royalty whichever is higher

The lessee shall pay the specified mandatory rent for each year of the lease:

Provided that under Rule 9 (1) (a) of these rules, where the holder of such lease has been liable to pay royalty for any mineral removed or consumed from the lease area by him or his agent, manager, employed person, then he shall be liable to pay such royalty or dead rent, whichever is higher, in respect of such area.

(2) Rates and manner of payment of rent and dead rent: -

Subject to the provisions of Part-I of this Part, during the existence of the lease, the lessee shall pay annual dead rent to State Government for the lands mentioned in Part-I of this Schedule for .... per hectare or part thereof in such manner as specified in Rule 9 (1) (a) of this rule.

(3) Rates and manner of payment of royalty : -

Subject to the provision of Part-I of this Part, during the existence of this lease, the lessee shall pay royalty to the State Government as specified in rule 9 (10 (c) in respect of mineral/minerals removed by him or her in the lease area, at the rate specified in Schedule-III of the Minor Mineral Rules, 2015 for the time being.

(4) Payment of auction amount:-

There shall be pay the auction amount at the rate of Rs.................., on the quantity of per cubic meter of mineral extracted by the lessee from the quarry lease through auction.

(5) Payment of surface rent:-

The lessee, in respect of the said lands, at the time of which the lessee has interfered with, or used, the authority of this deed, in respect of the surface of all parts, rupees per annum, per hectare or part thereof, respectively, at the rate of .... or during the time period for the commencement of such interference or use, of the part thereof interfered or used, unless such interference or use of the area shall cease on, surface rent shall pay to the State Government at the rate of determined of the rent from time to time as per detailed mention in rule 9 (1) (b).

(6) Will display rates / prices set by the Government in the mine area

The lessee shall display a notice board on his own expenditure, showing the ceiling price fixed by the government, royalty, DMF,

all cess and other taxes as determined by the Central/State Government.

Part-VI

Provision regarding rent and royalty

(1) Methods of computation of royalty: -

For the purposes of computing the above royalty, the lessee shall maintain a correct account of the production of the mineral consumed and dispatched as well as the quantity of the mineral, which is in the stock or in the process of export, can be investigated by an officer authorized under this rule.

(2) If the rent and royalty are not paid on time, then action: -

Under the terms and conditions of this deed, no any rent, royalty or other amount payable to the State Government is paid by the lessee in the prescribed time, the amount may be recoverd like revenue land at the rate of .... Percent Per annum payable thereon or rate of interest specified in .... whichever is higher, on the certificate issued by the Deputy Director (Mining administration)/ Mining Officer/Assistant Mining Officer .

Part-VII

Contracts of Lessee / Lessees

(1) The lessee will pay rent and owners taxes etc.:-

The lessee shall pay the rents and royalty reserved by this lease at such times and in such manner as are provided in Parts 5 and 6 of

this Deed, as charged by the Authority of the State Government from time to time.

(2) Displaying information of latitude-longitude and applicable rates showing the mine area:-

The lessee shall display, the information of the latitude-longitude showing the area of the mine, on the notice board, according to the demarcation shown in the map attached to this lease at his own expense and keep them maintained and in restoration. It will be clear enough from such bushes and other obstacles that they can be easily identified and the highest fixed value of sand shall be displayed in each sand mine.

(3) Operations will be started within a month and work will be done efficiently:-

The lessee shall commence works within one month from the date of registration of lease.

(4) Shall be kept indemnify against all claims to the government:-

The lessee shall pay such reasonable indemnification and compensation and pay thereof as per the law prevailing on that subject, for all such loss, damage or disturbance as may be incurred by him exercising the powers conferred by this lease, as determined by the lawful authority and in respect of any such loss, damage or obstacles against all such claims and all costs and expenses about it, that make by any person or any persons, shall indemnify the State Government and shall indemnify completely and as overall.

(5) Permission of inspection of mines: -

The lessee shall permit any officer authorized under these rules to enter the office of an excavation area or an office located in a premises for the purpose of inspection, testing, survey, prospecting and making its maps, taking samples and collecting any data and the lessee along with such qualified person employed by him, who is familiar with the mine and the works, shall effectively assist to such officer/agents, servant and workers in carrying out each such inspection and give all such facilities, information regarding the working of the mines, which they should require objectively and necessarily do work as per all such orders and regulations, such as the Central or State Government deemed to impose As a result of such inspection or otherwise from time to time and adhere thereto.

(6) Report of the accident:-

The lessee shall, without delay, send a report of an accident, to the Collector and the concerned police station, which has occurred under this lease in sequence of works which have resulted in death or serious bodily damage or serious damage to property, or to be seriously affected or endangered to life or property.

(7) Reporting of exploration of other minerals: -

The lessee shall, without delay, report the exploration of any mineral in the lease area which is not specified in the lease, with full details about the nature and condition of each such achievement to the collector, if any mineral which is not specified in the lease, is explored in the lease area, the lessee shall not acquire such mineral,

and shall not dispose of it unless such mineral are comprised in the lease or are not obtain a separate lease therefor.

(8) Maintenance of records and accounts about production and employees etc.

The lessee shall keep or maintain correct accounts and such perceptible accounts books in such office which are located on or near the said lands, at all times during the said period, which shall contain correct entries from time to time in respect of the following:-

1. Quantity and type of said mineral obtained from the above lands;
2. The minerals that have been sold, the quantity and the different types separately;
3. All or prices of seller of the said mineral and all other details;
4. specifying the Number of persons employed in mines or works on the above lands, nationality, qualifications and salary of technical personnel;
5. Such other facts, specifications and circumstances about which the State Government may expect from time to time, and such officer at such times as may be appointed by the Central Government or the State Government, the actual and concise summary of all such books of accounts and all or any of the foregoing such information about the subject, as prescribed by the State Government, shall be presented free of cost and, at such reasonable times, such officers, as the Central or State

Government may appoint in that behalf, shall allow to enter and keep free access to the said offices for the purposes of examining and inspecting the said account books, record and records, and for preparing copies and citations thereof.

(9) Payment of damages compensation to third parties: -

The lessee, exercising the freedoms and powers conferred on this deed, shall make reasonable and compensatory compensation for all loss, damage or obstacle done to any person or property and shall be harmlessly saved to the State Government for all such promises, claims and demands at all times and Against thereto, which is done by any person or persons for any loss, damage or obstacle and keep indemnified. In the case of Government land, the lessee shall pay compensation of the amount equal at .... percent of the price fixed by the Revenue Department for the land falling in the respective district for each financial year to the State Government.

(10) The lessee shall deposit the required additional amount: -

Whenever an executive security of Rs. .... is made deposited thereafter with the State Government to replenish any part of it and the amount is to be surrendered or the State Government is to be used in accordance with the power declared hereinafter, the lessee shall deposit such further amount with the State Government which together with the appropriated portion of the executive securities, is sufficient to bring up to Rs .... amount deposited with the State Government.

(11) Right to pre-emption:-

(A) The State Government shall have the right to pre-emption the said minerals lying in the said lands or elsewhere under the control of the lessee and elsewhere in the said lands hereby transferred on all time from time to time during the said period (which will be used by giving written notice to the lessee) and the lessee shall assign, all minerals as soon as possible or the products or minerals purchased by the State Government under this provision, at such times in such manner and at such places as are specified in the information regarding the exercise of the said rights.

(B) In exercise of the authority conferred by the State Government, the price paid for all the minerals or products of minerals taken in the pre-emption shall be such as the fair market price prevailing at the time of pre-emption.

(12) Recovery of expenses incurred by the State Government: -

if any work or matter which is to be done by the lessee in accordance with the contracts contained in it for this purpose, or to be carried out within the time specified for that purpose, is not carried out, then State Government can get it done or get follow it done and the lessee shall pay the state government all the expenses that are required on this demand, in related to which the decision of the State Government will be final in relation to incurred in carrying out of such work or with complying thereof and such expenditures.

(13) Other obligations: -

(A) The lessee shall ensure to work in accordance with the approved mining plan under this rule.

(B) The lessee shall not pay wages less than to the minimum wages prescribed by Central or State Government under the Minimum Wages Act, 1948.

(C) The lessee shall abide by the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the rules made there under.

(D) The lessee shall abide by the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the rules made there under.

(E) The lessee shall abide by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under.

(F) The lessee shall take measures such as plantation, restoration of land, use of pollution control devices for protection of the environment at his own expense and such other measures as may be prescribed by the Collector or any other officer authorized by him from time to time.

(G) The lessee shall pay compensation to the occupier of the land on the date and in the manner prescribed in the rules.

(H) the lessee shall, in relation to employment, give priority to local persons;

(I) The lessee shall not transport any mineral or its product from the lease area without the valid transport pass as provided in the rules.

Part-VIII

Contracts of the State Government

(1) Term extension:-

The quarry lease can be extended for one year according to the terms of the provisions of the rules .

(2) Freedom to taken termination of the lease: -

The lessee may terminate this lease at any time by giving a written notice of at least six calendar months to the sanctioning authority, but prior to termination, shall pay compensation and such amount for all such rent, royalty's damages.

The application for the surrender of such mineral shall be made at least six months before such expected date, and shall pledge that it shall not cause any obstruction in the excavation to be done by another person, to whom the subsequent quarry lease for that mineral has been granted in respect of the mineral so surrendered.

(3) Refund of Executive Security: -

After the termination of this lease or any renewal, on such date as the Collector chooses, the amount of security paid in respect of this lease, which is deposited with the State Government and which is used to no require for any of the purposes described in this lease,

shall be refunded to lessee and no interest shall be payable on the security deposit.

Part-IX

General provision

(1) Obligation in inspection: -

in this case where the lessee is not allowed to enter or inspection by such Officer who is authorised by the central or State Government subject to the rules, then the collector will provide written notice to the lessee, and will expect him they/within a time, that should be specified in the notice, reason states that lease why should be not terminated and executive Securities Why should some not forfeited and if the lessee fails to state satisfactory reason denote the Sanctioning Authority in the above time, then he may able to terminate of the lease and may forfeited the full amount of executive securities or any part thereof.

(2) Penalty in case of default in payment of royalty and breach of contracts:-

If the lessee defaults to pay the rent or royalty as required by the Rules, Act or breaches the conditions, the Collector shall give a show cause notice in accordance with this rule, expecting the lessee to pay the rent, that the payment of the rent or royalty, as the case may be, or dissolve the breaches shall be done within the 60 days of receipt of notice. The payment of the rent or royalty or dissolve the breaches shall not be done within such time, then the

Sanctioning Authority can be terminated the lease without adverse effect on the any such proceedings which have against him/her and can be ceased full amount of executive security deposit or part thereof or will be able to impose penalty as provided in the rules.

(3) Shall remove the his/her property on the expiration of the lease:- The lessee shall pay the rent and royalty payable on account of this deed in advance and within three calendar months after the expiry of the said period or after his earlier termination thereof or thereafter, unless the lease is terminated under clause (1) and (2) of this part and in that case, at any time about being not least from fifteen days, not a within three calendar months from termination, his exploration material established by them that made stand in the said lands by the lessee or those, may have been installed, or maintained, and that the lessee is not bound to deliver to the State Government under these rules, must be removed.

(4) Forfeited the property exists after the more time of three months from the date of termination of the lease: -

If expiration of said period or under the provision contained in clause (3) of part-IX of this Schedule lessee, and end of the three calendar month from the date of effect of earlier termination of said period, any engine, machineries, plant, building, structure and other work construction and other facility, any property which is not require in relation to structure in any other lands holding by him under quarry lease by the lessee, then they, after written notice

given by the Collector by requiring to remove it, if not remove within the one calendar year, then property shall be deemed to have the State Government for giving compensation or without obligation to given any compensation to them for this purposes to lessee in respect thereof and it may be sell and dispose such as State Government deems fit.

(5) This lease is executed in District .... and hereby between the lessor and the lessee subject to Article 220 of the Constitution of India. It is agreed that in case of any dispute regarding the recovery under the lease and about the relationship between the lessor and the lessee, the suit (or appeal) should be filed in civil courts of the district............ (name of city) and clarified agreement that parties in/from all parties shall not be able to file any suit or any action or any petition in the court other than courts above mentioned.

(6) Expected royalty from the lease-transferred-area for the purpose of stamp duty is Rs .... / - per annum.

(7) Other conditions:

In whose evidence this deed is firstly executed on the date mentioned above in the manner described under it.

witness

(1) Signature.................................. Signed by the Collector in

And Name... behalf of the

Name of father or husband...................... Governor (Lessor)

(2) Signature …………………

Name ....

Name of Father or husband.................

Dated ……………………………

Lessee

(Signed by)

Dated ……………………………

FORM-II
[See rule 11(1)]

APPLICATION FOR GRANT OF TRADING LICENCE
(To be submitted in duplicate)

Received at .... (Place) on the .... day of ....
month............year.............

To,

The Collector
District .... Chhattisgarh

Subject :- Application for minor mineral ordinary sand trading licence.

1. Applicant details :-

Name of the applicant ....
Address of the applicant ....
Aadhar Number ....
PAN Number ....
GST Number ....
Gumasta licence No. (If applicable) ....
Mobile Number ....
Email Id ....

2. Specific office address for business:-

S.No.	District	Tehsil/Town	Village/Ward

3. Application Fee Details :-

Challan Number ...., Date........................, Amount Paid.............

4. Address for Communications :-

Locality/Village/Ward ....
Tehsil/Town ....
District ....
Post office .... Pin code ....

5. List of Document to be enclosed :-

Challan
Affidavit (Regarding no dues, land owner consent for trading)
Photo (Self attested)
Address proof
GST Clearance Certificate
Gumasta licence Certificate (If applicable)

Date :-
Place :-

Applicant's Signature

FORM-III

[See rule 11(2)]

GRANT OF TRADING LICENCE FOR ORDINARY SAND

OFFICE OF THE COLLECTOR

DISTRICT ...., CHHATTISGARH

No. .... Date.................

Trading licence for ordinary sand is hereby granted as per the condition below under the Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade), Rule, 2019 in favour of Name of person/Firm/Company ...., Resident /office address ...., for the period of 2 years from ---------------------- to --------------------. The conditions as indicated below:-

1. Conditions of the licence: - As specified by State Government/Director time to time.

Collector
District.................................
Chhattisgarh

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.